फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, ग्रामीण

महेन्द्र शर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी व अन्य

केस संख्या 115/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.10.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डावडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 489/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 304/2024 ब उनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम कौशल्या व अन्य रामपुरा डाबडी के बजाय जयपुर मुख्यालय कोर्ट कैम्प में सुनवाई हेतु नियत किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी की ओर से सप्ताह के प्रथम व द्वितीय सोमवार व मंगलवार को कोर्ट कैम्प कलक्ट्रेट जयपुर परिसर में लगाया जाता है। कैम्प कोर्ट में कौन कौन से प्रकरण रखे जाने है, इस बात को पक्षकारान की मांग व सुविधानुसार स्वयं पीठासीनं अधिकारी द्वारा अपने स्तर से तय किया जाता है। उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट कलक्ट्रेट जयपुर में रखा जा सकता है। जिसके लिए पृथक से आदेश किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। I पत्रावली नम्बर से कम हो। (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner